भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
उपभोक्ता मामले विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 2907
जिसका उत्तर बुधवार, 17 दिसम्बर, 2025 को दिया जाएगा

भ्रामक और फर्जी विज्ञापन

2907. श्री सुरेश कुमार शेटकरः

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) से संबंधित फर्जी विज्ञापन बार-बार सार्वजनिक अलर्ट के बावजूद सोशल/डिजिटल प्लेटफॉर्म पर व्यापक रूप से प्रसारित हो रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार द्वारा फर्जी विज्ञापनों विशेषकर एफएसएसएआई से संबंधित विज्ञापनों में शामिल कंपनियों और प्रभावशाली लोगों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई है;

(ग) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) और एफएसएसएआई द्वारा भ्रामक विज्ञापनों के कितने मामले दर्ज किए गए हैं तथा फर्जी विज्ञापनों के संबंध में विभिन्न संस्थाओं/कंपनियों पर लगाए गए जुर्माने का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या डिजिटल प्लेटफॉर्म को अभी भी धोखाधड़ी वाले निवेश विज्ञापन प्रकाशित करने की अनुमति है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार द्वारा प्लेटफार्म स्तरीय जवाबदेही उपायों को लागू किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार ने आज की ऑनलाइन दुनिया को देखते हुए उपभोक्ता-सुरक्षा ढांचे को अद्यतन किया है, जहाँ एआई-जनित सामग्री, पेड इन्फ्लुएंसर, डॉक्टर्ड टेस्टिमोनियल और स्टील्थ एडवरटाइजिंग रोज़ाना लाखों लोगों को गुमराह करते हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(श्री बी. एल. वर्मा)

(क) से (छ): उपभोक्ता हितों की सुरक्षा हेतु, खाद्य उत्पादों के दावों और विज्ञापनों में निष्पक्षता सुनिश्चित करने तथा ऐसे दावों/विज्ञापनों के लिए खाद्य व्यवसायों को जवाबदेह बनाने के उद्देश्य से एफएसएसएआई ने खाद्य सुरक्षा और मानक (विज्ञापन एवं दावे) विनियम, 2018 को पेश किया है। उक्त विनियम में खाद्य उत्पादों पर किए गए किसी भी भ्रामक विज्ञापन और दावों के अनुपालन न होने की स्थिति में प्रतितोष से संबंधित प्रावधान निर्धारित किए गए हैं। कोई भी व्यक्ति जो इस नियम का अनुपालन नहीं करने वाले किसी विज्ञापन या दावे के प्रकाशन में शामिल है या विज्ञापन देता

है, उसे खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 53 के अनुसार जुर्माना हो सकता है, जिसमें दस लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। पिछले तीन वर्षों में लेबलिंग/भ्रामक दोषों सहित की गई प्रवर्तन कार्रवाइयों का ब्यौरा **अनुलग्नक** में संलग्न है।

उपभोक्ता मामले विभाग उपभोक्ताओं के संरक्षण और सशक्तिकरण के लिए लगातार काम कर रहा है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के प्रावधानों के तहत, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) को अनुचित व्यापार प्रथाओं से उत्पन्न उपभोक्ता को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए हस्तक्षेप करने और क्लास एक्शन शुरू करने के लिए बनाया गया है, जिसमें उत्पादों की रिकॉल, रिफंड और वापसी को लागू करना भी शामिल है। इसे ऐसे झूठे या गुमराह करने वाले विज्ञापनों जो जनहित के प्रतिकूल हों**,** को रोकने और विनियमित करने का अधिकार है।

सीसीपीए ने 9 जून, 2022 को भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम और भ्रामक विज्ञापनों के पृष्ठांकन के लिए दिशानिर्देश, 2022 को अधिसूचित किया है। ये दिशानिर्देश अन्य बातों के साथ-साथ प्रावधान करते हैं; (क) किसी विज्ञापन को वैध और गैर-भ्रामक मानने की शर्तें; (ख) लुभावने विज्ञापन और मुफ्त दावा विज्ञापनों के मामले में अनुपालन की जाने वाली शर्तें; और, (ग) विनिर्माता, सेवा प्रदाता, विज्ञापनकर्ता और विज्ञापन एजेंसी के कर्तव्य। इन दिशानिर्देशों के अनुसार, पृष्ठांकनकर्ता में वह व्यक्ति या समूह या संस्था शामिल है जो किसी विज्ञापन में किसी वस्तु, उत्पाद या सेवा का पृष्ठांकन करता है, जिसकी राय, विश्वास, खोज या अनुभव वह संदेश है जिसे वह विज्ञापन प्रतिबिंबित करता है। इन दिशानिर्देशों में कहा गया है कि विज्ञापनों के समर्थन के लिए सम्यक तत्परता बरतना आवश्यक है, ताकि किसी भी विज्ञापन में पृष्ठांकन, उस व्यक्ति, समूह या संगठन की वास्तविक, यथोचित वर्तमान राय को प्रतिबिंबित करे, तथा दर्शाए गए सामान, उत्पाद या सेवा के बारे में पर्याप्त जानकारी या अनुभव पर आधारित हो, तथा किसी भी प्रकार से भ्रामक न हो।

अपनी स्थापना के बाद से, सीसीपीए द्वारा उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन, अनुचित व्यापार प्रथाओं तथा विभिन्न क्षेत्रों—जैसे कोचिंग संस्थान, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, स्वास्थ्य, वेलनेस एवं स्वच्छता दावे, कॉस्मेटिक उत्पाद, झूठे वारंटी दावे, ई-कॉमर्स क्षेत्र आदि—में किए गए झूठे अथवा भ्रामक विज्ञापनों के संबंध में कुल ₹1,33,35,500 का जुर्माना वसूला गया है।

उपभोक्ताओं को ई-कॉमर्स में अनुचित व्यापार प्रथाओं से बचाने के लिए, उपभोक्ता मामले विभाग ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के प्रावधानों के तहत उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 को भी अधिसूचित किया है। ये नियम अन्य बातों के साथ-साथ ई-कॉमर्स संस्थाओं की जिम्मेदारियों को रेखांकित करते हैं और उपभोक्ता शिकायत निवारण के प्रावधानों सहित मार्केटप्लेस और इन्वेंट्री ई-कॉमर्स संस्थाओं की देनदारियों को विनिर्दिष्ट करते हैं।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) [प्रतिभूति बाज़ार से संबंधित धोखाधड़ीपूर्ण एवं अनुचित व्यापार प्रथाओं का निषेध] विनियम, 2003, विज्ञापनों के प्रकाशन से संबंधित हेरफेर, धोखाधड़ी और अनुचित प्रथाओं से संबंधित उभरती हुई समस्याओं का समाधान करते हैं। बाज़ार में हेरफेर, धोखेबाज़ तरीके या डिवाइस और भ्रामक विज्ञापनों वाली प्रथाओं को धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार के रूप में प्रतिबंधित किया गया है। इन विनियमों में उल्लंघनों के लिए पंजीकरण के निलंबन और निरस्तीकरण का प्रावधान किया गया है।

भारत में उपयोगकर्ताओं तथा व्यापक रूप से भारतीय इंटरनेट को प्रौद्योगिकियों के दुरुपयोग से उत्पन्न हो रहे नए खतरों से सुरक्षित रखने और देश के कानून के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाय) ने सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश एवं डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 अधिसूचित किए हैं। आईटी नियम, 2021 सोशल मीडिया मध्यस्थों और प्लेटफॉर्म सहित मध्यस्थों पर विशिष्ट कानूनी दायित्व डालते हैं, ताकि सुरक्षित और विश्वसनीय इंटरनेट के प्रति उनकी जवाबदेही सुनिश्चित हो सके, जिसमें नियम 3(1)(ख) के तहत सूचीबद्ध गैरकानूनी सूचनाओं को हटाने की दिशा में उनकी त्वरित कार्रवाई शामिल है, जिसमें वे सूचनाएं भी शामिल हैं जो जोखिमपूर्ण, अपमानजनक, अश्लील, पोर्नोग्राफ़िक, पीड़ोफिलिक या किसी भी कानून का उल्लंघन करने वाली हैं, या नियम 3(2) के तहत किसी भी सूचना के खिलाफ प्राप्त शिकायतों के आधार पर हैं।

आईटी नियम, 2021 के विभिन्न प्रावधान, जो वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और बच्चों सहित उपयोगकर्ताओं की उन्नत सुरक्षा पर केंद्रित हैं, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित को शामिल करते हैं:

(क) आईटी नियम, 2021 की धारा 3(1)(ख) का उल्लंघन करने वाली अवैध सूचनाओं के प्रसारण पर प्रतिबंध लगाना।

(ख) आईटी नियम, 2021 के नियम 3(1)(ग) के उल्लंघन के विरुद्ध गैरकानूनी गतिविधि में लगे उपयोगकर्ता के खाते को तत्काल समाप्त करना

(ग) आईटी नियम, 2021 के नियम 3(1)(घ) के तहत गैरकानूनी सूचनाओं को समयबद्ध तरीके से हटाना

(घ) आईटी नियम, 2021 के नियम 3(2) के तहत समयबद्ध शिकायत निवारण तंत्र

(ङ) नियम 3क के तहत अपील तंत्र के माध्यम से बढ़ी हुई शिकायत निवारण – शिकायत अपील समितियों (जीएसी) की स्थापना

(च) आईटी नियम, 2021 के नियम 4(2) के तहत वैध आदेश प्राप्त होने पर विशिष्ट आधारों पर भारत में गैरकानूनी सूचना के पहले स्रोत का पता लगाने में सक्षम बनाना

(छ) आईटी नियम, 2021 की धारा 4(4) के अंतर्गत स्वचालित उपकरणों की तैनाती, अवैध सूचनाओं की सक्रिय पहचान और उन्हें हटाने तथा उनकी तेजी से वायरल होने पर रोक लगाने के लिए

(ज) आईटी नियम, 2021 के नियम 4(1) के तहत एसएसएमआई द्वारा भारत में स्थित नामित अधिकारियों की नियुक्ति और भारत में भौतिक पते को प्रकाशित करना, ताकि देश के नियमों और कानूनों के प्रवर्तन में सहायता मिल सके।

(झ) तृतीय पक्ष की जानकारी के लिए दायित्व से छूट का नुकसान

जेनेरेटिव एआई टूल्स की बढ़ती उपलब्धता और इसके परिणामस्वरूप कृत्रिम रूप से उत्पन्न सूचनाओं (सामान्यतः डीप फेक के नाम से जाना जाता है) के प्रसार को देखते हुए, उपयोगकर्ताओं को हानि पहुँचाने, गलत जानकारी फैलाने, चुनावों में हेरफेर करने या व्यक्तियों की नकल करने के लिए ऐसी तकनीकों के दुरुपयोग की संभावना को ध्यान में रखते हुए, आईटी नियम, 2021 का उद्देश्य मध्यस्थों, विशेष रूप से सोशल मीडिया मध्यस्थों (एसएमआईएस) और महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थों (एसएसएमआईएस), तथा उन प्लेटफ़ॉर्मों के लिए ड्यू डिलिजेंस की दायित्वों को सुदृढ़ करना है, जो कृत्रिम रूप से उत्पन्न सामग्री के निर्माण या संशोधन में सक्षम हैं।

****

अनुलग्नक

'भ्रामक और फर्जी विज्ञापन' के संबंध में दिनांक 17.12.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2907 के उत्तर के भाग (क) से (छ) में उल्लिखित अनुलग्नक

पिछले तीन वर्षों के प्रवर्तन का ब्यौरा									
वर्ष	विश्लेषण किए गए नमूनों की संख्या	गैर-अनुरूप पाए गए नमूनों की संख्या	गैर-अनुरूप नमूने					सिविल मामले	
			असुरक्षित	सब-स्टैंड्रड्स	लेबलिंग दोष/गलत ब्रांडिंग	भ्रामक दावे	अन्य	जुर्माने के साथ फैसला	जुर्माना राशि (करोड़ रुपये)
2024-25	170535	34388	7945	22516	**3319**	**91**	521	30142	35.74
2023-24	170513	33808	6782	22603	**3261**	**592**	570	29586	74.12
2022-23	180290	44630	6537	21972	**14749**	**947**	436	28544	23.93

*****